रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

S. NO. 71

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2013/कार्तिक 28, 1935

No. 567] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013/KARTIKA 28, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 740(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 67 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल लाल टैरिफ नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल लाल टैरिफ (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल लाल टैरिफ निमय, 2000 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),-

(क) उक्त नियमों के नियम, 306 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"306 रेल से वहन के लिए आशयित पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के परेषण केवल-

(i) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा

(ii) रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थान या स्थानों पर; और

(iii) ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पेट्रोलियम नियम, 2002 के अध्याय IV में यथानिर्दिष्ट अनुमोदित विद्युत के प्रकाश का अनन्य रूप से प्रयोग किया जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर , जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्ति विनिर्दिष्ट किए जाए, ग्रहण किए जाएंगें "

(ख) उक्त नियम के नियम 313.1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात्:—

"313.1. **लदाई और उतराई का समय:** उन मामलों को छोड़कर जहां पेट्रोलियम नियम, 2002 के अध्याय IV में यथानिर्दिष्ट अनुमोदित विद्युत प्रकाश का अनन्य रूप से प्रयोग किया जाता हो तथा लदाई या उतराई के स्थान पर आग अथवा किसी दुर्घटना की दशा में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा अवधारित संख्या में कार्मिकों सहित पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी गई हो, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों लदाई, उतराई तथा उठाई धराई से संबंधित सब संक्रियाएं सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जाएंगी

परंतु यात्री गाड़ी मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में भेजे जाने वाले और यानान्तरण या सड़क यान गाडियों द्वारा भेजे जाने वाले परेषणों की उठाई-धराई , दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सम्यक पूर्वावधानियां बरतने के पश्चात् किसी भी समय की जा सकेगी,

[फा. सं. टी. सी.-1/2011/307/1]

श्रीमती सुहास कुमार, सलाहकार (दर)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. सं. 266 तारीख 26 जून, 2000 द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2000 को प्रकाशित किए गए थे और उनका सा.का.नि. सं. 622 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2000 (शुद्धिपत्र), सा.का.नि. सं. 479 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005, तारीख 19 जुलाई, 2005 में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 384(अ), तारीख 12 मई, 2011 तथा सा. का.नि. सं 826(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2011 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 November, 2013

G.S.R. 740(E). — In exercise of the powers conferred by section 67 and section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) : the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways Red Tariff Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules),-

(a) For rule 306 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"306. Consignments of petroleum and other inflammable liquids intended to be transported by rail shall be received only—

(i) by a duly authorised railway servant;

(ii) at such place or places within railway premises; and

(iii) except where approved electric lights as specified in Chapter IV of the Petroleum Rules, 2002 are exclusively used, at such time between sunrise and sunset, the railway administration may specify in this behalf ";

(b) for rule 313.1 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"313.1. Time of loading and unloading:- Except where approved electric lights as specified in Chapter IV of the Petroleum Rules, 2002 are exclusively used and adequate fire fighting facilities with such number of personnel as determined by Chief Controller of Explosives have been kept ready at the place of loading or unloading for immediate use in the event of any out-break of fire or any accident, all operations connected with the loading, unloading and handling of petroleum and other inflammable liquids shall be conducted between sunrise and sunset:

Provided that consignments to be sent in brake-vans of passenger, mixed or parcel train and by tranship or road van trains may be handled at any hour, after due precautions have been taken to prevent accidents."

[F. No.TC-1/2011/307/1]

Smt. SUHAS KUMAR, Adviser (Rates)

Note :- The principal rules were published on the 15th July ,2000 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S.R. 266, dated the 26th June, 2000 and subsequently amended *vide* numbers G.SR. 662(E), dated the 14th August, 2000, (Corrigendum), G.SR.479 (E), dated the 15th July, 2005, published on 19th July, 2005, G.S.R.384(E), dated the 12th May, 2011 and G.S.R.826(E), dated the 21st November 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.